



## भारत में भ्रष्टाचार का उदय

### मनोज रजक

नेट- जनभागीदारी व्याख्याता- समाजशास्त्र विभाग,  
 गर्वमेन्ट विजय भूषण सिंह देव गल्स कॉलेज, जसपुर नगर (छत्तीसगढ़), भारत

Received- 23.07.2020, Revised- 26.07.2020, Accepted - 28.07.2020 E-mail: - dr.ramnyadav@gmail.com

**सारांश :** हमारे देश में भ्रष्टाचार का प्रारम्भ द्वितीय विश्वयुद्ध से हुई थी। जब युद्धजनित परिस्थितियों ने अनेक अवसर प्रदान किये। युद्ध में व्यय हो रहे करोड़ों रुपये की भरपाई के लिए अनेक अनुचित तरीकें अपनाये गये। नौकरशाहों ने सरकारी धन एवं सत्ता का दुलपयोग किया। सरकार ने जैसे ही आवश्यक वस्तुओं और युद्ध सामग्री खरीदें जाने का आदेश दिया वैसे ही व्यापारियों ने सरकारी माल आपूर्ति के ठेके प्राप्त करने के अधिकारियों को रिश्वतें प्रदान की। आजादी प्राप्ति के बाद भी देश में यही स्थिति रही। एक ओर जहाँ रियासतों का एकीकरण हुआ वहाँ दूसरी ओर जनसंख्या का स्थानान्तरण एवं साम्प्रदायिक दंगे हुए जिसके फलस्वरूप कानून का शासन खड़ित हुआ तथा नौकरशाहों के लिए भ्रष्टाचार के नये-नये रास्ते खुल गये। इसके बाद स्वतंत्र भारत में कल्याणकारी एवं समाजवादी राज्य के आदर्श को अपनाया गया। राज्य के कार्यों (विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में) को पूरा करने के लिए परमिट, लाइसेंस का युग प्रारम्भ हुआ जिससे भ्रष्ट लोगों को भ्रष्टाचार को नये-नये आयाम मिलते गये। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उपजा यह पौधा आज विशाल बटवृक्ष का रूप धारण कर लिया है।

**कुण्डीनूल शर्म-** भाजपा, परिस्थितियों, अवसर, भरपाई, अनुचित, नौकरशाहों, जना, दुलपयोग, भरपाई।

भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है जिसकी नींव समाजवादी एवं सहिष्णुता पर टिकी हो, वहाँ भी भ्रष्टाचार अपने विकराल रूप में इस तरह फैल चुका है कि अब यह मात्र व्यवहार में न रहकर एक स्वीकृत मनोवृत्त बन चुका है। भले ही इसका मुख्य असर लगातार विकसित होते मध्यम वर्ग पर अधिक दिखता हो पर उच्च वर्ग से लेकिन निम्न वर्ग तक कोई भी तबका इससे अछूता नहीं रहा। हॉलांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि सम्पूर्ण भारतीय समाज भ्रष्ट हो चुका है। लेकिन यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि आज सार्वजनिक जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जहाँ भ्रष्टाचार न फलता-फूलता हो। चाहे वह आर्थिक जीवन का क्षेत्र हो या शैक्षिक क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, या सामाजिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो या धार्मिक क्षेत्र हो, चिकित्सालय या न्यायालय सभी जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। छोटे से छोटे चपरासी से लेकर बड़े अधिकारी तक, ठेकेदार से लेकर व्यापारी तक, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों से लेकर महाविद्यालयों के आचार्यों तक, प्राचार्यों से लेकर शिक्षा जगत के उच्चतम अधिकारियों तक, सचिवालयों के कर्मचारियों से लेकर निदेशालयों के अधिकारियों तक, सिपाही से लेकर आई.जी. तक, विश्वविद्यालय के कुलपतियों से लेकर कुलाधिपति तक, विधानसभा एवं विधान परिषद से लेकर लोकसभा एवं राज्य सभा तक, मंत्रियों से लेकर प्रधानमंत्री तक इस अनैतिक कार्यों में संलग्न देखे जाते हैं। ये सभी लोग

कानून की आंखों में धूल झोककर अपनी व्यक्तियों सम्पत्ति खड़ी करने में जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, उससे सारा राष्ट्र चिन्तित है। आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारा देश दुनिया में अग्रणी रहा है, लेकिन इस क्षेत्र में भी पंडे, कर्मकाण्डी, तांत्रिक, योगी, साधु, सन्धारी, मुनि, औघड़, और बड़े-बड़े धर्माचार्य भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सामान्य जनता, निर्धन एवं विपन्न लोग चक्की में पिसे जा रहे हैं लेकिन इसकी पीड़ा का अनुभव शायद ही किसी को हो। सामान्य जनता के दुख-दर्द को समझने की फुर्सत किसको है? किस तरह मुखौटा लगाकर भ्रष्ट लोग जनता के साथ व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह यहाँ का मध्यम वर्ग विभिन्न समस्याओं में फंसकर व्याकुल बना रहता है, किस तरह यहाँ का निम्न वर्ग कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी भरपेट भोजन प्राप्त नहीं करता तथा कदम-कदम पर ढुकराया जाता है एवं किस तरह उच्च वर्ग, भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता एवं मंत्रीगण, वैभव एवं विलास के पालन में झुलता हुआ, एशोआराम का जीवन बिता रहा है, दूसरों की कमाई खा रहा है, कम काम और अधिक आराम में लीन है और सामान्य जनता को पीड़ा, कष्ट एवं व्यथा देने में ही आनन्द का अनुभव करता है।

**भारत में भ्रष्टाचार के विभिन्न रूप-** भारत में भ्रष्टाचार के कई रूप देखने को मिलते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का कोई कार्य करने या न करने पर घूस लेना, अपने सम्बन्धियों को नौकरी दिलाना, जन्म दिन या विवाहों



पर भेंट स्वीकार करना, बेईमानी, गवन, रिश्वत, अनुचित एवं अवैध तरीके से पैसा लेना आदि। यह आवश्यक नहीं है कि भ्रष्टाचार धन के रूप में ही हो। राजनीतिक दलों के लिए धन एकत्र करना, स्थानान्तरण या पदोन्नति के लिए रिश्वत लेना, सार्वजनिक धन का अपव्यय करना आदि भ्रष्टाचार के रूप हैं। सभी प्रकार के भ्रष्टाचार का एकमात्र उद्देश्य धन प्राप्त करना है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने भ्रष्टाचार के निम्न 27 स्वरूपों का उल्लेख किया है।

1. निम्न कोटि के वस्तुओं या कार्यों को स्वीकार करना।
2. सार्वजनिक धन तथा भंडार का दुरुपयोग करना।
3. जिन व्यक्तियों से अधिकारियों के कार्यालय स्तर के सम्बन्ध हैं उनके आर्थिक दायित्वों को वहन करना।
4. ठेकेदारों या धर्मों को रियायतें प्रदान करना।
5. ऐसे ठेकेदारों अथवा फर्मों से कर्ज लेना जिनसे उनके कार्यालय स्तरीय सम्बन्ध हो।
6. झूठे भत्ते, दौरे अथवा गृह किराए का दावा करना।
7. अपनी आमदनी से अधिक वस्तुओं को रखना।
8. बिना पूर्व सूचना या पूर्व अनुमति के अचल सम्पत्ति अर्जित करना।
9. प्रमाद या किसी अन्य कारण से शासन को नुकसान पहुंचाना।
10. शासकीय पद या सत्ता का दुरुपयोग करना।
11. भर्ती, नियुक्ति, स्थानान्तरण एवं पदोन्नति के सम्बन्ध में गैर-कानूनी रूप से धन लेना।
12. शासकीय कर्मियों को व्यक्तिगत कार्य में प्रयोग करना।
13. जन्म तिथि एवं जाति सम्बन्धी जाली प्रमाण पत्र जारी करना।
14. रेल एवं वायुयान में सीट आरक्षण में अनियमितता बरतना।

15. मनी आर्डर, बीमा मूल्य देय पार्सलों को न देना।
16. नए डाक टिकटों को हटाकर पुराने टिकट लगाना।
17. आयात निर्यात लाइसेंस जारी करने में अनियमितता।
18. शासकीय कर्मचारी की जानकारी एवं सहयोग से विभिन्न फर्मों द्वारा आयातित एवं निर्धारित कोटे का दुरुपयोग करना।
19. टेलीफोन कनेक्शन देने में अनियमितता।
20. अनैतिक आचरण।
21. उपहार ग्रहण करना।
22. आर्थिक लाभ के लिए आयकर, सम्पत्ति कर का कम मूल्यांकन प्रस्तुत करना।
23. स्कूटर एवं कार खरीदने के लिए अग्रिम धन राशियों को दुरुपयोग।
24. विस्थापितों के दावे, निपटाने में अनुचित विलम्ब।
25. आवासीय भूमि के हिस्सों में क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में धोखा देना।
26. विस्थापितों के दावे का गलत मूल्यांकन करना।
27. शासकीय आवासों पर अनाधिकृत कब्जा एवं उन्हें अनाधिकृत रूप से किराये पर उठाना।

### संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अग्रवाल, जी० के० : समाजिक विघटन, एस बी पी डी पब्लिकेशन्स, आगरा 2009.
2. हरगोविन्द पुरी : आचार के बिंगड़ते प्रतिमान और भ्रष्टाचार, आर्टिकल, अर्पण पब्लिकेशन्स, प्रह्लाद गली, अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली, 2018.
3. द्वैवेदी, एस. एण्ड भार्गव, जी एस : पॉलिटिकल क्रष्ण इन इंडिया, नई दिल्ली, पोपुलर बुक सर्विस, 1968.
4. हिन्दुस्तान, दैनिक समाचार-पत्र, 4 अप्रैल, 2011.

\*\*\*\*\*